



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16012020-215499
CG-DL-E-16012020-215499

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 228]
No. 228]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 16, 2020/पौष 26, 1941
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 16, 2020/PAUSHA 26, 1941

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2020

का.आ. 238(अ).—पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) अधिनियम, 2013 की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, सुश्री सुजाता चतुर्वेदी (आईएस 1989), अपर सचिव (स्थापना प्रभाग की प्रभारी), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को तत्काल प्रभाव से उनके वर्तमान पद की पदावधि तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण में अंश-कालिक सदस्य (श्री संजीव नारायण माथुर के स्थान पर) के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 2/1/2014-PR]

मदनेश कुमार मिश्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)
NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2020

S.O. 238(E).—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) Act 2013, the Central Government hereby appoints Ms. Sujata Chaturvedi (IAS 1989), Additional Secretary (in-charge of Establishment Division), Department of Personnel & Training (DoPT) as Part-time Member, Pension Fund Regulatory and Development Authority (vice Shri Sanjiv Narain Mathur), with immediate effect, for the duration of her tenure in present appointment or until further orders whichever is earlier.

[F. No. 02/01/2014-PR]

MADNESH KUMAR MISHRA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2020

का.आ. 239(अ).—पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) अधिनियम, 2013 की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, सुश्री एनी जॉर्ज मैथ्यू (आईए एंड एस 1988), अपर सचिव (कार्मिक), व्यय विभाग को 12 दिसम्बर 2019 से उनके वर्तमान पद की पदावधि तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण में अंश-कालिक सदस्य के रूप में उनके कार्यकाल को बढ़ाती है।

[फा. सं. 2/1/2014-PR]

मदनेश कुमार मिश्र, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2020

S.O. 239(E).—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) Act 2013, the Central Government hereby extends the tenure of Ms. Annie George Mathew (IA & AS 1988), Additional Secretary (Pers), Department of Expenditure as Part-time Member, Pension Fund Regulatory and Development Authority, with effect from 12th December 2019, for the duration of her tenure in present appointment or until further orders whichever is earlier.

[F. No.02/01/2014-PR]

MADNESH KUMAR MISHRA, Jt. Secy.